अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2015

का. आ. 3071(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 7 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 1501 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "सामाजिक सेवा केन्द्र, संख्या 3/271, भारथीदासन गली, गणपति नगर, वांडलुर, चेन्नई-48 " द्वारा "नि:शक्त और अनुसूचित जाति समुदाय के शैक्षणिक, व्यावसायिक, चिकित्सीय, सामाजिक और आर्थिक विकास" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 को प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 10 पर अधिसूचित किया था और जिसे दिनांक 17.05.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1136 (अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2010-2011 से प्रारम्भ होने वाली दो वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, और जिसे दिनांक 14.05.2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 1096 (अ) के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के आठ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए अधिसूचित करने सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) एतदद्वारा "सामाजिक सेवा केन्द्र, संख्या 3/271, भारथीदासन गली, गणपति नगर, वांडलुर, चेन्नई-48" द्वारा चलाई जा रही "नि:शक्त और अनुसूचित जाति समुदाय के शैक्षणिक, व्यावसायिक, चिकित्सीय, सामाजिक और आर्थिक विकास" की परियोजना अथवा स्कीम को 2.62 करोड़ रूपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन

किये बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि अर्थात, 2015-16, 2016-2017 और 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 261/2015 /फा. सं. वी -27015/3/2015 एस ओ (एन. सी.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)